नंबर
अधिवक्ता का नाम

अधिकारी
# न्यायालय उपखण्ड ........................ कठूमर जिला अलवर

नं. ....2/181/2021.......

तारीख रजू.........................

टीकम वगैरा **बनाम** कैलाश वगैरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.08.2021 | वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।<br>अतः अप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 183, 188, 213, 214, वाके ग्राम मसारी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति वनाये रखे।<br>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 18.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)<br>उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) | |
| 27/9/2021 | पत्रावली आज [illegible] के साथ पेश हुई वकील प्रार्थी ने नजदीक तारीख [illegible] मय [illegible] पेश [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] की नजदीक तारीख पेशी। ला 6 व 8 की ओर जवाब [illegible] पर [illegible] [illegible] अप्रार्थीगण की ओर से पेश किया। [illegible] किया गया। पत्रावली वास्ते [illegible] पेश हो दिनांक 30/9/2021 को पेश हो<br>[signature] | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11/4/22 | पत्रावली पेश हुई ... उपस्थित ... जवाब दिये जाने ... दि. 19/4/22 ... को पेश हो। [illegible] | |
| 19.4.22 | पुकार कराई गयी ... वादी ... जवाब/आपत्ति ... दिनांक 22/4/22 को पेश हो। [illegible] | |
| 22/4/22 | पुकार ... उपस्थित। ... आदेश दिनांक 4/4/2022 ... की पालना में पत्रावली वास्ते जवाब ... दिनांक 26/4/22 को पेश हो। [illegible] | |
| 26/4/22 | पुकार ... उपस्थित। ... आदेश दिनांक 19.8.2021 ... पत्रावली वास्ते जवाब पेश करने को समय और दिनांक 28/4/22 को पेश हो। चाहते हैं [illegible] | |
| 28/4/22 | ... उपस्थित ... आदेश दिनांक ... पत्रावली वास्ते ... आ.बि. दिनांक 5.5.22 ... बहस सुनी गई ... बहस वकुनाय [illegible] | |
| 5/5/22 | पत्रावली पेश हुई वकुनाम उपस्थित सायलान अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में सक्षम रहे प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं न पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में साबित है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मंजूर स्वीकार | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम ... की तारीख |
|---|---|---|
| | किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बरान 183 रकबा 1.11 हे0 188 रकबा 1.62 हे0 213 रकबा 0.77 हे0 214 र0 0.51 हे0 ग्राम मसारी तहसील कठूमर के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा पत्रावली पर प्रभावी स्टे आदेश 19.8.2021 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है निर्णय प्रकरण लिखाया जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील मूल वाद के साथ शामिल रहे। (हस्ताक्षर)<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कठूमर (अलवर) | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 02 / 181 / 2021

वउनवान

1. टीकमसिंह पुत्र श्री किशोरीलाल जाति जाटव निवासी मसारी
2. कुंवरलाल पुत्र श्री किशोरीलाल जाति जाटव निवासी मसारी
3. अमरचन्द पुत्र श्री किशोरीलाल जाति जाटव निवासी मसारी
4. अमरसिंह पुत्र श्री किशोरीलाल जाति जाटव निवासी मसारी
5. प्रबेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम जाति जाटव निवासी मसारी
6. रिंकू पुत्र राजाराम जाति जाटव निवासी मसारी

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. कैलाश पुत्र खुशीराम जाति जाटव निवासी मसारी
2. भूपसिंह पुत्र खुशीराम जाति जाटव निवासी मसारी
3. महेन्द्रसिंह पुत्र सूसरिया जाति जाटव निवासी मसारी
4. नवीनकुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाटव निवासी मसारी
5. रविकांत पुत्र मोहनलाल जाति जाटव निवासी मसारी
6. लेखराज पुत्र मोहनलाल जाति जाटव निवासी मसारी
7. नेमीचन्द पुत्र बैनी जाति जाटव निवासी मसारी
8. विज्जो दोहित्रा घीसा जाति जाटव निवासी मसारी

तहसील कठूमर जिला अलवर

9. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपस्थित :–

श्री रामजीलाल शर्मा

श्री मानसिंह चौधरी – अधिवक्तागण सायलान की ओर से

श्री सुभाषचन्द शर्मा – अधिवक्ता गैरसायलान की ओर से

## आदेश

दिनांक 05.05.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 183 रकवा 1.11 हे. 188 रकवा 1.62 हे. 213 रकवा 0.77 हे. 214 रकवा 0.52 हे. ग्राम मसारी तहसील कठूमर में स्थित है। सायलान, गैरसायलान एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। सजरा के मुताविक सायलान का 1/5 हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बंटवारे में आता है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने सायलान का हिस्सा अभी तक बदस्तूर चला रखा है जवकि सायलान का (बाई बर्थ) जन्म से ही अधिकार प्राप्त होते है ऐसी सूरत में सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति है जो जवरन व लटठ के वल पर सायलान के हिस्से में जवरन लटठ के वल पर मदाखलत करते है और सायलान को खेत जोतने बोने में बाधा पैदा करते है तथा उक्त आराजी को रहन वय करने पर तुले है। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायलान ने सजरा गलत पेश किया है। सायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। जव सायलान का मृतक पिता व बाबा घीसा के जीवनकाल में ही रामहेत के गोद चला गया था तथा मृतक की समस्त चल वो अचल सम्पत्ति का तर्का किशोरीलाल ने प्राप्त किया है तो विवादित आराजी में सायलान का कोई हक वो अधिकार किसी किस्म के पैदा नहीं होते। सायलान वेकब्जा व्यक्ति होने के कारण मिन गेरसायलान को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। गैरसायलान पूर्वजों के समय से ही विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किया जावे।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 नकल इन्तकाल 483 किता 2 नकल मिलान क्षैत्रफल नकल जमाबन्दी संवत् 2021 वाके ग्राम मसारी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गई। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है।

प्रथम दृष्टा केस

सुविधा का सन्तुलन

ना पूर्ति होने वाली क्षति

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल इन्तकाल मिलान क्षैत्रफल व नकल जमाबन्दी संवत् 2021 वाके ग्राम मसारी की

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सत्यप्रतिलिपी पेश की है। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान का 1/5 हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बंटवारे में आता है। गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करने की धमकी देते है तथा दीगर लोगों को रहन वय करने पर उतारू है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि, असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि सायलान का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है ना कभी कब्जा रहा और ना अव है। सायलान का मृतक पिता व बाबा घीसा के जीवनकाल में ही रामहेत के गोद चला गया था तथा मृतक रामहेत की समस्त चल वो अचल सम्पतित का तर्का किशोरी ने प्राप्त किया है तो विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान पूर्वजों के समय से ही विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान वेकब्जा व्यक्ति है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है। सायलान नाकाविज हैं। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है जिस सजरा में घीसा के दो पुत्र गंगी व किशोरीलाल अंकित किये है जो दोनों फौत दर्शाये हैं। मृतक किशोरीलाल के वारिस सायलान व गंगी का वारिस पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

खुशीराम है खुशीराम फौत दर्शाया है। जिसके अन्य वारिसान को दर्शित किया है जो गेरसायलान है। सायलान ने नकल इन्तकाल संख्या 483 वाके ग्राम मसारी किता 2 पेश की है जो इन्तकाल मृतक घीसा का है। जिस इन्तकाल में घीसा के वारिस गंगी, सूसरिया, छोटे व चैनी दर्शाये है। सायलान ने विवादित आराजी का मिलान क्षैत्रफल पेश किया है जिसमें विवादित आराजी के साविक नम्बर घीसा पुत्रह हरभजन की खातेदारी में दर्ज है। यह निर्विवाद है कि किशोरीलाल सायलान का पिता व घीसा सायलान का दादा है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2021 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जिसमें विवादित आराजी के साविक खसरा नम्बरान घीसा पुत्र हरभजन की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान का कथन कि घीसा के जीवन काल में ही किशोरी घीसा के भाई रामहेत के गोद चला गया था। रामहेत व किशोरी के फौत हो जाने पर सायलान रामहेत की आराजी पर काविज है। विवादित आराजी से कोई बास्ता नहीं है। किशोरीलाल रामहेत के गोद चला गया व सायलान रामहेत की आराजी पर काविज है इस तथ्य को सावित करने का भार गैरसायलान पर था लेकिन किशोरीलाल रामहेत के गोद गया हो और सायलान रामहेत की आराजी पर काविज हो इस तरह का गैरसायलान ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि सायलान घीसा के पोत्र है तथा विवादित आराजी में सायलान का 1/5 हिस्सा पर कब्जा है जिस पर वो काश्त कर रहे है। इसके अलावा सायलान एंव गैरसायलान के मध्य पैत्रिक सम्पत्ति का विवाद सावित है जो पारिवारिक मामला है। हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान विवादित आराजी को रहन वय कर सकते है। सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है। जिससे अपार हानि असुविधा व क्षति सायलान को होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान, क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। सायलान अपने

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर)

प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रहे है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बरान 183 रकवा 1.11 हे. 188 रकवा 1.62 हे. 213 रकवा 0.77 हे. 214 रकवा 0.52 हे. ग्राम मसारी तहसील कठूमर के मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा पत्रावली पर प्रभावी स्टे आदेश दिनांक 19.08.2021 को मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

आज दिनांक 05.05.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )